

Written by कुमार सौवीर
Friday, 27 April 2018 12:33

: 00000000 0000000 00 000000 0000 000000 0000 000000 00 00000 000000 00 00000 0000 0000 0000 000000 0000000000 : 00000 0000000 00 0000000000 00 0000000000 0000000 00 0000000000 0000000 00 0000 0000000 00 0000 0000000 00 0000 00000000000 000000000000000000 00 0000000 00000000 00 0000 0000 0000 0000000000 000000 000000, 0000 00 0000000000 00 00000000 00 0000000 00 0000 :

000000 000000

00000 : महाभियोग को लेकर पूरे देश में खूब जमकर हुई थी नौटंकी देश के सर्वोच्च न्यायाधीश दीपक मशिरा के येन-केन-प्रकरणे कुर्सी से खींच कर नीचे उतार देने वाली क्ववाली को लेकर भले ही अब चर्चा और विवाद खड़े हो गए हों लेकिन इस प्रक्रिया में कजज पर महाभियोग चलाने का मामला फलिहाल ठंडे बस्ते में चला गया है अब तो यहां तक हालत हो गई है कि इस जज को कम तक नौकरी पर बना रखा जा गा, यह सवाल फिर से सरि उठाने लगा है हालत यह है कि इस जस्टिस के पास कोई काम-धाम भी नहीं रह गया है, और दूसरी ओर गौरतलब बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के ही निर्देशों के तहत इस जस्टिस को जबरन छुट्टी पर भेज दिया गया था

इस जज का नाम है जस्टिस एस न शुक्ला शुक्ल ला जी पछिले कई दिनों से न्यायापालिका ही नहीं, बल्कि किसी भी गांव, कस्बे के मोहल्ले-नुक्कड़ पर भी खासे चटखारे की तरह इस तेमाल कथि जाने लगे है जातगित आधारों को लेकर भी जबर्दस् त उठापटक चल रही है वकील तो सीधे-सीधे तौर पर दो-फड़ है, या फिर वे लखनऊ केवकील हों, या फिर इलाहाबाद के अन य प्रदेशों में भी शुक्ल ल जी का नाम खासा गरमी दे देता है फलिहाल हालत तो यह है कि देश के सर्वोच्च न यायाधीश दीपक मशिरा और एस न शुक्ला के साथ ही साथ बुद्धदूसी की चर्चा भी खूब चल रही है बहुत दूर क्यों जाते हैं, यूपी में खनन माफिया के तौर पर अपनी ख्याति जमा चुके समाजवादी पार्टी के मंत्री और अकूत संपत्ति के मालिक बन चुके दो-कैड़ी के गायत्री प्रजापति के जमानत देने के मामले में लखनऊ के पाक्सो जज ओपी मशिरा जैसे न यायाधीश भी अपनी नौकरी और अपने नाम-प्रतषि ठा तक के अदालत-परसिरों में पौछा लगाने लायक बन चुके हैं

आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद जस्टिस एस न शुक्ला ने जो पैसले सुना दिया वह अपने आप में बेहद आश्चर्यजनक और अदालतों में चल रहे गंभीर अराजकता का क बड़ा नमूना है जहां न्याय की बिक्री ठीक इसी तरीके से हो जाती है जैसे मध्य युगीन समाज में मानव मंडी जसिके पास पैसा है आज वह कुछ भी खरीद सकता है कम से कम जस्टिस शुक्ला और ओपी मशिरा जैसे जजों ने उसे चरतिरथ कर दिया था अरूणाचल के पूर्व मुख्य यमंत्त्री क्लखिओ पुल ने वहां के मुख्य यमंत्त्री पद रहते हुए भी जसि तरह आत् महत् या कर ली थी, और उसके पहले 60 पन् ने क सुसाइड-नोट लिख कर देश की न यायपालिका की चूलें हलिा दी थी, वह बेशरम न यायपालिका की दशिा ही मजबूत कर रहा है

0000000000000000 00 000000 00 000000 00 0000 000000 00000000 000000 000000 00 000000 0000000000 :-

Written by कुमार सौवीर
Friday, 27 April 2018 12:33

000000 00 00000000000000

इस मामले में हंगामा और गंभीर चर्चा शुरू हो गई है। चर्चाओं के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के बड़े न्यायाधीश का प्रशर्य जस्टिस स न शुक्ला पर था। और जस्टिस शुक्ला द्वारा कुछ अभियुक्तों को जमानत देने का वह फैसला उस न्यायाधीश के संकेत पर ही किया गया था। कुछ भी हो, यह मामला खुला तो दीपक मशिरा ने स न शुक्ला के न्यायकार्य से वरित करने का आदेश जारी कर दिया और उन्हें फेरस-लीव यानी जबरन छुट्टी पर भेज दिया गया। पछिले करीब 3 महीनों से ऐसे ही शुक्ला ऐसे जबरन अवकाश पर है। मतलब यह कि उन्हें वेतन और सुवधा तो दी जा रही है। मगर कोई भी फाइल उनके पास नहीं पहुंच रही है। सही शब्दों में कहें तो क स न शुक्ला फलिहाल क कठक्मन की तरह है बनकर रह ग, जनिके कोई भी उपयोगिता हाईकोर्ट के नहीं बच पायी।

आश्चर्य की बात है कि ऐसे माहौल में कि जब अदालतों में मुकदमों का अंबार लगा हुआ है और उस के मुकबले जजों की संख्या न्यूनतम है, ऐसी हालत में लंबे समय तक जज के खाली पर बैठाना बेहद दुखद हालातों का परिचायक होता है। अगर न्याय प्रशासन ने यह फैसला किया था कि किसी जज को जबरन छुट्टी पर भेजा जा गा या उसे महाभियोग के ली केंद्र सरकार के पास भेजा जा गा तो फिर उस महाभियोग कर्रवाई के अब तक क्यों नहीं क्रियान्वति किया गया। क्या वजह है कि पछिले कई महीनों से ऐसे ही शुक्ला का मामला दल्लि की सत्ता गलियारों में दबा बैठा है और सरकार न तो न जजों की भरती कर रही है और नहीं महाभियोग चलाने का कोई फैसला ही कर पा रही है।

इस मामले में सबसे बड़ा मोड़ यह आया है कि स न शुक्ला ने अपनी छुट्टी की अरजी और बढ़ा दी है। वशि वस् त सूत्र बताते हैं कि शुक्ला ने अपनी छुट्टी की अवधा और बढ़ाने की दरख् वास्त चीफ जस्टिस को भेज दी है। लेकिन न्याय प्रशासन से जुड़े क कवरषिठ सूत्र ने बताया कि न्याय प्रशासन इस मामले में जस्टिस शुक्ला के अब अधिक छुट्टी देने के पक्ष में नहीं है।

कुछ भी हो यह हालत बेहद गंभीर और दयनीय भी है।

Written by कुमार सोबीर
Friday, 27 April 2018 12:33

□□□□□□ □□□□ □□□□